उत्तर प्रदेश टेक्निकल प्रवेश काउंसिलिंग (UPTAC) शैक्षिक सत्र 2024-25 की आनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया

शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये वे छात्र/छात्रायें जिन्होंने JEE (Main) 2024/CUET(UG)–2024 CUET(PG)–2024 / NATA –2024/ इत्यादि परिक्षायें पास की है, काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। काउंसिलिंग की प्रक्रिया निम्नवत होगीः-

1.काउंसिलिंग में प्रतिभाग हेतु पंजीयन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करना (यह प्रक्रिया केवल प्रथम चरण एवं विशेष चरण के लिये होगी)।

2.पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क भुगतान करने की सुविधा।

3.उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के उपरान्त केंन्द्रीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा अपलोड किये गये प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जायेगा।

4.सरल मोबाइल सन्देश (एस0एम0एस0/ई.मेल) के माध्यम से सत्यापन का पुष्टिकरण।

5.सत्यापित एवं नवीन उम्मीदवारों द्वारा विकल्प निर्धारण (Choices Filling)।

6.सीट आवंटन परिणामों की घोषणा।

7. सीट स्वीकृति शुल्क का भुगतान कर सीट स्वीकार करना। विभिन्न चरणों में सीट स्वीकृति के प्रारूप- चरण -1, 2 एवं 3: फ्रीज/फ्लोट, चरण-4: आटोफ्रीज।

8.सभी आवंटित संस्थानों में भौतिक रिपोर्टिगं (चरण 4 के बाद सभी फ्रीज एवं आटो फ्रीजअभ्यर्थी)।

9. चरण (2) और (3) में सीट विड्रॉल के विकल्प की सुविधा प्रदान की जाएगी।

10.प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हेतु विकल्प (यदि सीट कन्फर्म हो गई है तो इसे प्रोविजनल एडमिशन लेटर माना जायेगा)।

11.आवंटित संस्थानो में आन्तिरिक स्लाइडिंग (विलिंगनेस एवं स्लाइडिंग चरण-5 में) हेतु सम्मति व्यक्त करना।

12.सभी रिक्त सीटो के लिए विशेष काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण (चरण-6)।

13. चरण-6 में सीटों का आवंटन।

14. चरण-6 के आवंटित संस्थान में भौतिक रूप से रिपोर्टिंग।

काउंसिलिंग की प्रक्रिया सात चरणों में करायी जायेगीः-

सभी संस्थानों के लिए काउंसिलिंग 6 चरणों में प्रस्तावित है 4 सामान्य चरण (R-1, R-2, R-3, R-4), 1 आन्तरिक विस्थापन Internal Sliding (R-5) और 2 विशेष चरण (R-6)। प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग का विस्तृत विवरण निम्नवत है।

<u>काउंसिलिंग के सामान्य चरणः-</u>

प्रथम चरण-(R-1)

सभी अर्ह अभ्यर्थी जो काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं, वेबसाइड https://uptac.admissions.nic.in पर रू 1000/- (Non-Refundeble) के साथ आनलाइन पंजीकरण करा सकते है। पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी अपने आवश्यक प्रमाण पत्रों को अपलोड करेंगें, जिनका आनलाइन सत्यापन एक केन्द्रीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा किया जायेगा। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर अर्ह अभ्यर्थी को sms/email द्वारा सूचित किया जायेगा। sms/email प्राप्त होने पर अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार ब्रान्च एवं संस्थान का विकल्प वरीयता के आधार पर भर सकते हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे उन्ही ब्रान्च/संस्थान का विकल्प चुने जिसमें प्रवेश लेने के इच्छुक हो।

निर्दिष्ट समयसारणी के अनुसार विकल्प भरने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर, स्वचालित सीट आवंटन की प्रक्रिया योग्यता (Merit) के आधार पर सम्पन्न होगी और अभ्यर्थी के दिये गये विकल्पो में वरीयता के आधार पर सीट का आवंटन हो जायेगा। तत्पश्चात सीट आवंटन परिणाम वेबसाइट (https://uptac.admissions.nic.in) पर दे दिया जायेगा (जिसको अभ्यर्थी अपने लागिन से आवंटित सीट को देख सकेगा) सीट आवंटन पश्चात, सीट स्वीकृत फीस रू 20,000/-(सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग)/रू 12,000/- (अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति) जमा करके अभ्यर्थी अपने सीट को फ्रीज/फ्लोट का विकल्प चुन सकेगा। सीट स्वीकृति फीस भुगतान के उपरान्त, सीट स्वीकृति सूचना प्राप्त होगी। यह अगले चरण में प्रतिभाग की विलिंगनेस को भी प्रदर्शित करेगा।

चरण अनुसार आवंटन विवरण एवं चाहत Willingness विवरण अभ्यर्थी के लागिन में दिखाई देगा। आवंटित सीट के फ्रीज की दशा में, अभ्यर्थी को सीट के उच्चीकरण के लिए काउंसिलिंग के अगले चरणों में शामिल नहीं किया जायेगा लेकिन आगे के चरण में उसकी आवंटित सीट की श्रेणी को उच्चीकृत/परिवर्तित किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी सीट को स्वीकारनहीं करेंगें यानि सीट स्वीकृति फीस जमा नहीं करगें उन्हें काउंसिलिंग से बाहर समझा जायेगा और आगे के किसी भी चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। सूचित हो कि सीट को स्वीकार करने के लिए अभ्यर्थी (फ्रीज और फ्लोट दोनों) को सीट स्वीकृति फीस जमा करना अनिवार्य होगा अथवा उनकी आवंटित सीट समाप्त कर दी जायेगी और अभ्यर्थी आगे के चरणो में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।

द्वितीय चरण-(R-2)

कौन नहीं अर्ह है?

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे सीट (फ्रीज/फ्लोट) आवंटित की गई है लेकिन उन्होने प्रथम चरण में सीट स्वीकृति शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

- आनलाइन अभिलेख सत्यापन के बाद अर्ह नहीं पाये गये अभ्यर्थी।

कौन अर्ह है?

अर्ह अभ्यर्थी के चार समूह होंगे

ग्रुप-1 (नये अभ्यर्थी)

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया एवं पंजीकरण फीस जमा किया है लेकिन प्रथम चरण में कोई विकल्प नहीं भरा है।

ग्रुप-2 (फ्रीज अभ्यर्थी)

ऐसे अभ्यर्थियों को नये विकल्प भरने या विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। पूर्व आवंटित सीट (संस्थान, पाठ्यक्रम एवं विधा) यथावत रहेगी तथा उनकी आवंटित -श्रेणी (Alloted-Category) में नियमानुसार अपग्रेड किया जा सकता है।

ग्रुप-3 (फ्लोट अभ्यर्थी)

ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति दी जायेगी। उनकी पिछले आवंटित सीट बरकरार रखी जायेगी। उन्हें सीट अपग्रेड के लिए पात्र माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी विकल्पों में कोई बदलाव नहीं करता है तो चरण-1 के विकल्प को चरण-2 के लिए अन्तिम माना जायेगा।

ग्रुप-4 (जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आवंटित नहीं हुयी है) :

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया, पंजीकरण फीस जमा की एवं विकल्प भरे थे परन्तु उनको पिछले चरण में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्पों का संशोधन करने की अनुमति होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरे विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो चरण-2 के लिए चरण-1 के विकल्प को अन्तिम विकल्प माना जायेगा।

चरण-2 में सीट आवंटन

ऊपर विभिन्न ग्रुपों के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर रिक्त सीटों के सापेक्ष सीट आवंटित की जायेगी तथा उक्त आवंटित सीट का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

दूसरे चरण में सीटों में परिवर्तन नियम

प्रथमतः उपरोक्त समूहों के अर्ह अभ्यर्थियों को बिना सीट परिवर्तन के सीटों का आवंटन किया जायेगा।

तदोपरान्त आरक्षित उप श्रेणी की सीटों को उनके मुख्य श्रेणी में परिवर्तन निम्नवत् किया जायेगाः-

OP(GL) / OP(FF) / OP(PH) /OP(AF) ⟹ **OP**

SC(GL) / SC(FF) / SC(PH) / SC(AF) ⟹ **SC**

ST(GL) / ST(FF) / ST(PH) / ST(AF) ⟹ **ST**

BC(GL) / BC(FF) / BC(PH) / BC(AF) ⟹ **BC**

EWS(GL)/EWS(FF)/EWS(PH)/EWS(AF) ⟹ **EWS**

तदोपरांत पुनः सीट आवंटन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार सभी आरक्षित उप श्रेणी की सीटों को परिवर्तन करने के पश्चात् यदि कोई सीट उप श्रेणी में उपलब्ध है तो परिवर्तन पुनः लागू किया जायेगा और तब तक लागू रहेगा जब तक आरक्षित उप श्रेणी की सीट शून्य न हो जाए।

इस राउण्ड में अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, ओ0बी0सी0 एवं ई.डब्ल्यू.एस. सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

चरण -2 में सीट आवंटन के पश्चात्

- प्रथम चरण में सीट फ्रीज कर चुके अभ्यर्थी उसी श्रेणी में सीट अपग्रेडेशन कर सकते हैं।

- फ्लोट सीट वाले अभ्यर्थी को अभ्यर्थी द्वारा भरे गये नवीनतम् विकल्पों पर अगली उच्च वरीयता वाली सीट (उपलब्ध होने पर) पर अपग्रेड किया जायेगा।

- प्रथम चरण में जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं की गयी थी, उनको दूसरे चरण में सीट आवंटित हो सकती है।

ग्रुप -1 एवं ग्रुप -4 के ऐसे नए अभ्यर्थियों जिनको सीट आवंटित हुई है उन्हे सीट कन्फर्मेशन के लिए रू0 20,000/- (सामान्य एवं ओ0बी0सी0) तथा रू0 12,000/- (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति) शुल्क भुगतान ऑनलाइन करना होगा। जिसके बाद सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण सूचना जेनेरेट हो जाएगी। साथ ही अगले चरण के लिए Willingness भी प्रदर्शित की जाएगी।

सीट आवंटन होने पर ग्रुप-3 के पहले से ही फ्लोट अभ्यर्थियों को आवंटित सीट फ्रीज/फ्लोट करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान करा दिया है, को अपना अभ्यावेदन विड्रा करने का विकल्प मिलेगा। साथ ही रिफंड के लिए अभ्यर्थी को अपनी बैंकिंग सम्बन्धी सूचना भरनी होगी। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपये 15000/- एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रूपये 9000/-वापिस किया जाएगा इसके साथ ही सीट स्वीकार/विड्रा की सूचना जेनेरेट हो जाएगी।

- विड्रा करने के पश्चात अभ्यर्थी किसी भी सामान्य चरण की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नही ले सकेगा।

- यदि अभ्यर्थी ने फ्रीज/फ्लोट का विकल्प नहीं दिया है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को चरण 3 के लिए स्वतः ही फ्लोट माना जायेगा।

चरण-3

कौन अर्ह नही है?

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम एवं द्वितीय चरण में सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण शुल्क नहीं जमा किया है।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के चरणों में विड्रा कर लिया है।

- ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र/अभिलेख सत्यापन के पश्चात् अर्ह नहीं पाये गये हों।

कौन अर्ह हैं?

अर्ह अभ्यर्थी के चार समूह होंगे

ग्रुप-1 (नये अभ्यर्थी)

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया एवं पंजीकरण फीस जमा किया है तथा पिछले चरणों में कोई विकल्प नहीं भरा है।

ग्रुप-2 (फ्रीज अभ्यर्थी)

- ऐसे अभ्यर्थियों को नये विकल्प भरने या विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। पूर्व आवंटित सीट (संस्थान, पाठ्यक्रम एवं विधा) यथावत रहेगी तथा उनकी आवंटित- श्रेणी (Alloted-Category) को नियमानुसार अपग्रेड किया जा सकता है।

ग्रुप-3 (फ्लोट अभ्यर्थी)

- ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति दी जायेगी। उनकी पिछले आवंटित सीट बरकरार रखी जायेगी। उन्हें सीट अपग्रेड के लिए पात्र माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी विकल्पों में कोई बदलाव नहीं करता है तो अभ्यर्थी द्वारा पिछले चरणों में दिए गये विकल्पों को चरण -3 के लिए अंतिम विकल्प माना जायेगा।

ग्रुप-4 (जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आवंटित नहीं हुयी है)

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया, पंजीकरण फीस जमा की एवं विकल्प भरें परन्तु जिनको पिछले चरणों में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले विकल्प भरे थे लेकिन कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी, को विकल्पों का संशोधन करने की अनुमति होगी।

यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरे विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा पिछले चरण के विकल्पों को चरण -3 के लिए अंतिम विकल्प माना जायेगा।

चरण-3 में सीट आंवटन

उपर्युक्त सभी ग्रुप के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर रिक्त सीटों पर केन्द्रीयकृत आवंटन कर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

चरण-3 में रिक्त सीटों का परिवर्तन नियम

- सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को उर्ध्व आरक्षण में बिना किसी परिवर्तन के सीट आवंटन किया जायेगा।

- अनुसूचित जनजाति (ST) सीट को अनुसूचित जाति (SC) सीट में परिवर्तन कर पुनः सीट का आवंटन।

- उपरोक्तानुसार सीट के परिवर्तन करने के उपरान्त अनुसूचित जनजाति श्रेणी में यदि कोई रिक्त सीट उपलब्ध है तो सीट परिवर्तन की प्रक्रिया को तब तक लागू किया जायेगा जब तक अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सीट शून्य नहीं हो जाती।

- तत्पश्चात् अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की रिक्त सीटों का सामान्य श्रेणी में परिवर्तन निम्नवत् किया जायेगा

अनुसूचित जाति (SC) ⟹ सामान्य श्रेणी (Open)

पिछड़ा वर्ग (OBC) ⟹ सामान्य श्रेणी (Open)

ई0डब्ल्यू0एस0 ⟹ सामान्य श्रेणी (Open)

तदोपरांत सीटों को पुनः आवंटन किया जायेगा

- सभी वर्गो की सीटों का परिवर्तन करने के बाद (उपरोक्त वर्णित स्थिति के अनुसार) अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं EWS श्रेणी में यदि कोई सीट उपलब्ध हो तो उनके परिवर्तन का नियम पुनः उपरोक्तानुसार लागू होगा और इस प्रक्रिया का पालन तब तक किया जायेगा जब तक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं EWS श्रेणी में सीट शून्य नहीं हो जाती है।

- अन्ततः सभी रिक्त सीटें केवल सामान्य श्रेणी में उपलब्ध होंगी।

- इस राउण्ड में TFW (फी-वेवर) सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

चरण-3 में सीटों के आवंटन के बाद

- चरण-1 एवं चरण-2 के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सीट फ्रीज है उनकी अवंटित श्रेणी अपग्रेड की जा सकती है।

- फ्लोट सीट वाले अभ्यर्थियों को उनके अन्तिम विकल्पों के अनुसार अगली उच्च वरीयता की सीट में अपग्रेड किया जा सकता है।

- पूर्व चरणों के अभ्यर्थियों को जिनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी इस चरण में सीट मिल सकती है।

- यदि ग्रुप -1 एवं ग्रुप -4 के नए अभ्यर्थियों जिनको सीट आवंटित हुई है उन्हे सीट कन्फर्मेशन के लिए रू0 20,000/- (सामान्य एवं ओ0बी0सी0) तथा रू0 12,000/- (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति) शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। जिसके बाद सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण सूचना जेनेरेट हो जाएगी। साथ ही अगले चरण के लिए Willingness भी प्रदर्शित की जाएगी।

एक बार ग्रुप-3 के पूर्व फ्लोट अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हो जाएगी तो उसके सापेक्ष अभ्यर्थियों को आवंटित सीट फ्रीज/फ्लोट करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान करा दिया है, को अपना अभ्यावेदन विड्रा करने का विकल्प मिलेगा। साथ ही रिफंड के लिए अभ्यर्थी को अपनी बैंकिंग सम्बन्धी सूचना भरने का विकल्प प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपये 10,000/- एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रूपये 6000/- वापिस किया जाएगा। इसके साथ ही सीट स्वीकृति/विड्रा की सूचना जेनेरेट हो जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी आगे की किसी चरण की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं ले सकेगा।

साथ ही अगले चरण के लिए Willingness भी प्रदर्शित की जाएगी।

- यदि अभ्यर्थी ने फ्रीज/फ्लोट का विकल्प नहीं दिया है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को चरण 4 के स्वतः ही फ्लोट माना जायेगा तथा <u>अभ्यर्थी के प्रथम विकल्प की सीट आवंटन पर स्वतः फ्रीज हो जाएगी।</u>

चरण 4

कौन अर्ह नहीं है?

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चरण 1 अथवा 2 अथवा 3 में सीट स्वीकृति शुल्क का भुगतान नहीं किया था।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के चरणमें विड्रा कर लिया है।
- ऐसे अभ्यर्थी जोकिऑनलाइन प्रमाणपत्र/अभिलेख सत्यापन के बाद अर्ह नहीं पाए गए हों।

कौन अर्ह है?

अर्ह अभ्यर्थी के दो समूह हैं:

ग्रुप- I (फ्लोट अभ्यर्थी): ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्प संशोधित / चयन करने की अनुमति नहीं होगी। उनकी पहले से आवंटित सीट को यथावत रखा जाएगा। साथ ही उन्हें सीट अपग्रेडेशन का अवसर प्रदान किया जाएगा।

ग्रुप- II (अभ्यर्थी जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई): ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले तीन चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उन्हें यथावत विकल्पों में सीट आवंटन के लिए अर्ह माना जाएगा। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को चरण 4 में प्रतिभाग हेतु पुनः आनलाइन पुष्टि देनी होगी। पुनः पुष्टि नहीं देने वाले ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के सामान्य चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पायेगे।

चरण - 4 सीट आवंटन

- उपलब्ध विकल्पों को रिक्त सीटों के सापेक्ष केंद्रीय रूप से संशोधित किया जाएगा। इस चरण के सीट आवंटन परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जायेंगे।

चरण 4 के सीट परिवर्तन नियम

- चरण 3 की समस्त रिक्त बची सीटें केवल ओपन (Open) श्रेणी में उपलब्ध होंगी।
- चरण 4 के सीट आवंटन के उपरांत चरण 1 अथवा 2 अथवा 3 में अभ्यर्थी द्वारा फ्रीज सीट को (Category Upgradation) श्रेणी उन्नयन के लिए आवंटित सीट पर अपग्रेड किया जा सकता है।
- फ्लोट सीट वाले अभ्यर्थी को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंतिम विकल्पों पर अगली उच्च वरीयता वाली सीट पर अपग्रेड किया जा सकता है।
- पिछले चरणों में जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आबंटित नहीं हुयी है ऐसे अभ्यर्थियों को इस चरण में सीट मिल सकती है।
- ग्रुप- II के अभ्यर्थी को यदि इस चरण में सीट आवंटित हो जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों की सीट स्वतः फ्रीज कर दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को रुपये 20,000/- (सामान्य और ओबीसी) / रूपये 12,000/- (एससी और एसटी) सीट स्वीकृति शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। सीट स्वीकृति के उपरांत सीट कन्फर्मेशन की सूचना जनरेट होगी।

• ग्रुप- I के अभ्यर्थी जोकि पूर्व में फ्लोट सीट पर हैं की नवीन आवंटित सीट को स्वतः फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत सीट कन्फर्मेशन की जानकारी जनरेट हो जाएगी।

सीट स्वीकृति अथवा सीट पुष्टिकरण शुल्क रूपये 20,000/- (सामान्य / ओबीसी-एनसीएल) तथा रूपये 12,000/- (एससी / एसटी) हेतु सीट आवंटन के उपरांत संस्थान को स्थानांतरित / समायोजित किया जाएगा। केवल चरण 2 एवं चरण 3 में ही रिफंड / विड्रा का प्रावधान होगा, यदि कोई अभ्यर्थी चरण 2 तथा चरण 3 में विड्रा नहीं करता है तो ऐसी दशा में रिफंड हेतु पात्र नहीं होगा।

फिजिकल रिपोर्टिंग

जिन अभ्यर्थियों को सीटें आबंटित की गयी हैं और जिन्होंने सीट कन्फर्मेशन शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें आवंटित संस्थान में भौतिक रूप से काउंसिलिंग विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। ध्यान रहें कि संस्थान की फीस एवं जमा करने का स्वरूप संबन्धित संस्थान से प्राप्त की जा सकेगी।

चरण- 5, एवं 6 केवल शासकीय वित्तपोषित/अनुदानित संस्थानों में ही लागू होगें।

आन्तरिक स्लाइडिंग (चरण -5)

सभी अभ्यर्थी जिन्होंने आन्तरिक स्लाइडिंग के लिए विकल्प दिया है उन्हें आवंटित संस्थान के भीतर आन्तरिक स्लाइडिंग के लिए अर्ह मानते हुए उपलब्ध रिक्त सीट पर सीट आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। आन्तरिक स्लाइडिंग के विकल्प को अभ्यर्थी द्वारा सावधानी पूर्वक चयन करना आश्यक है। चूंकि अभ्यर्थी को नयी उन्नत सीट आवंटित होने की दशा में अभ्यर्थी को उनकी पहले की आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा अपग्रेडेड (उन्नत) सीट से पूर्व की सीट पर आना सम्भव नहीं होगा।

स्पेशल काउंसलिंग (चरण-6)

कौन अर्ह नहीं है?

चरण-5 के बाद के सभी फ्रीज वाले अभ्यर्थी या ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटित की गई है और जिनके द्वारा सीट स्वीकृत शुल्क का भुगतान किया गया है लेकिन चरण 2 और 3 में विड्रा नहीं किया गया है।

कौन अर्ह है?

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अर्ह नहीं बताया गया, को छोड़कर समस्त अभ्यर्थी अर्ह हैं।

स्पेशल काउंसलिंग चरण-6

चरण 6 के लिये पात्र अभ्यर्थी 1000 रूपये के आवेदन शुल्क के साथ इस चरण के लिये पंजीकरण कर सकते हैं, अभ्यर्थी को दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक होगा, जो केन्द्रीय रूप से सत्यापित किए जाएगे। सत्यापन के बाद अभ्यर्थीयों को एक एस.एम.एस. भेजा जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी इस चरण के लिए विकल्प भर सकते हैं। अभ्यर्थी को इस चरण में भाग लेने के लिए 20,000/- रूपये सीट कन्फर्मेशन शुल्क अग्रिम रूप से जमा करना होगा । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारो को वापस किया जाएगा, जिन्हें इस चरण में सीट आवंटन की प्रक्रिया के पश्चात् कोई सीट

आवंटित नहीं हुई हो। इस चरण में सीट प्राप्त करने वाला कोई भी अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में शुल्क वापसी का दावा नहीं कर सकता हैं।

सीट आवंटन

सभी संस्थानों में भौतिक रिपोर्टिंग के बाद समस्त रिक्त सीटें केवल ओपन श्रेणी में उपलब्ध होंगी और चरण 6 में 20000 रूपये का अग्रिम भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएगी। संस्थान के आवंटन पश्चात भौतिक रूप से रिपोर्टिंग अनिवार्य है।